प्रेषक,

जिलाधिकारी,
चमोली।

सेवा में,

मा0 एन0जी0टी0,
प्रधान पीठ नई दिल्ली।

संख्या–377 / इक्कीस–एल0बी0सी0–1 / 2022–23 दिनांक : गोपेश्वर 21 अक्टूबर, 2023

विषय– **मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–06 / 2023 प्रियांक कर्नाटक बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.07.2023 की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

मा0 महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–06 / 2023 प्रियांक कर्नाटक बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.07.2023, का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में अध्यक्ष / मुख्य विकास अधिकारी, चमोली द्वारा अपने पत्र संख्या–388 / वैय0सहा0–मु0वि0अ0–2023 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। प्राप्त अनुपालन आख्या मूल में संलग्न कर ई–मेल के माध्यम से अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि–ई–मेल पर।

Signed by Dr Abhishek Tripathi
Date: 04-11-2023 13:48:19

भवदीय,

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी),
अपर जिलाधिकारी,
चमोली।

प्रेषक,

मुख्य विकास अधिकारी,
चमोली।

सेवा में,

जिला अधिकारी,
चमोली।

संख्या 388 /वैय0सहा0–मु0वि0अ0–2023 दिनांक 19 अक्टुबर, 2023

विषय : मा0 एन.जी.टी. में योजित मूल आवेदन संख्या–06/2023 प्रियांक कर्नाटक बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.07.2023 की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयय कार्यालय पत्रांक 5731/ इक्कीस–एल.बी.सी–1 दिनांक 31 जुलाई, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र के द्वारा मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–06/2023 प्रियांक कर्नाटक बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20 जुलाई, 2023 की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देश हैं। उक्त कम में अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, गोपेश्वर एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बद्रीनाथ से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश में बिन्दुवार आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। सम्बन्धित विभागों द्वारा निम्न प्रकार आख्या उपलब्ध करायी गई है :–

1– उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा Ms- Aastha Enviro Engineers Pvt-Ltd, Plot No. 543Y Place City II sce-37, Dist- Gurgaon के माध्यम से श्री बद्रीनाथ धाम में निम्नवत 03 एस.टी.पी. का संचालन एंव रख–रखाव कराया जाता है :–

क्र0 सं0	एस0टी0पी0 का नाम एवं क्षमता	लाभान्वित क्षेत्र	दिये गये सीवर संयोजन
1	1.00 एम0एल0डी, निकट बामणी पुल	माणा टैक्सी स्टैण्ड, देवलोक क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्र एवं आई0एस0वी0टी0 क्षेत्र	127 घरेलू, 124 अघरेलू
2	0.26 एम0एल0डी0 निकट बामणी गांव निकट खाक चौक	बामणी गांव से मुख्य मन्दिर मध्य तक का समस्त क्षेत्र	46 घरेलू, 07 अघरेलू
3	0.01 एम0एल0डी0 निकट मन्दिर श्री बद्रीनाथ धाम	सुलभ शौचालय (वर्तमान में क्षतिग्रस्त)	01 अघरेलू

2– श्री बद्रीनाथ धाम में स्थापित तीनों एस0टी0पी0 में घरेलू व अघरेलू कुल 305 सीवर संयोजन है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बन्द होने के करण हुनमान चट्टी के पास बैरियर लगाकर पर्यटकों व अन्य व्यक्तियों का आवागमन को पूरी तहर से प्रतिबन्धित कर दिया जाता है और इस अवधि में श्री बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति / पर्यटक निवास नहीं करता है। उक्त अवधि में श्री बद्रीनाथ धाम में किसी व्यक्ति/पर्यटक के निवास न करने के कारण उक्त एस0टी0पी0 का संचालन नहीं किया जाता है। कपाट खुलने की तिथि से लगभम 10 दिन पूर्व ही सम्बन्धित फर्म द्वारा एस0टी0पी0 को पुनः संचालन बनाने हेतु कार्यवाही की जाती है।

3– संयुक्त निरीक्षण कमेटी द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या के भाग–02 मे यह उल्लेख किया है कि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट लगभन माह अक्टूबर, से माह मई तक बन्द होने के कारण पर्यटन भी बन्द रहता है तथा इस दौरान एस0टी0पी0 प्रयोग में नहीं रहते हैं।

अ– एस0टी0पी0 1.00 एम0एल0डी0 निकट बामणी पुल कपाट खुलने से पूर्व ही क्षतिग्रस्त लाईनों का मरम्मत कार्य पूरा कर एस0टी0पी0 का संचालन प्रारम्भ कर किया गया है, जो कि सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और मानकों के अनुरूप सीवर शुद्धीकरण का कार्य कर रहा है।

ब– एस0टी0पी0 0.26 एम0एल0डी0 निकट बामणी गांव में श्री बद्रीनाथ धाम के पश्चिम दिशा में स्थित है जिससे बाजार क्षेत्र के सीवर को जोड़ा गया है । श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बन्द होने की अवधि में इससे जोड़े गये सीवर संयोजनों का प्रयोग नहीं होता है। मास्टर प्लान के निर्माण कार्यों के कारण सीवर लाईन क्षतिग्रस्त होने का जो उल्लेख संयुक्त निरीक्षण जॉच कमेटी द्वारा अपने रिपोर्ट /आख्या में किया गया है वह श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बन्द होने के दौरान का है। उस अवधि में सीवर प्रवाह नहीं था तथा कपाट खुलने से पूर्व ही पी0आई0यू0, लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त पाईप लाईनों की मरम्मत करा दी गई थी। कपाट खुलने के पश्चात् सीवर सीधा एस0टी0पी0 में जा रहा है और शुद्धीकरण उपरान्त ही सीवर अलकनन्दा में छोड़ा जाता है। वर्तमान में भी मानकों के अनुरूप एस0टी0पी सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।

क्रमशः – 2–

स– एस0टी0पी0 0.01 एम0एल0डी0 जो कि झूला पुल के समीप एवं अलकनन्दा की बांई तरफ स्थित है, जिससे सार्वजनिक शौंचालय का सीवर संयोजन जोड़ा गया है, जिसे पी0आई0यू0 द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान विकास कार्यों के अन्तर्गत ध्वस्त कर दिया गया है। फलस्वरूप उक्त एस0टी0पी0 संचालन वर्तमान में नहीं किया जा रहा है।

वर्तमान में श्री बद्रीनाथ धाम स्थित एस0टी0पी0 का संचालन सम्बन्धित फर्म द्वारा नियमानुसार किया जा रहा है, और जिस अवधि में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले होते हैं, तो उस समय सीवर को शुद्धिकरण उपरान्त ही अलकनन्दा में छोड़ा जाता है। पी0आई0यू0, लोक निर्माण विभाग द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान विकास कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त सीवर लाईन को तत्काल मरम्मत करा दिया गया है। श्री बद्रीनाथ धाम के अन्तर्गत समस्त एस0टी0पी0 के नमूनों के परीक्षण हेतु एक टैस्टिगं लैब भी स्थापित है। जिसके अन्तर्गत समय–समय पर सीवर नमूनों की जॉच की जाती है। किसी भी प्रकार का सीवर बिना शुद्धीकरण किये अलकनन्दा नदी में नहीं छोड़ा जाता है और उक्त एस0टी0पी0 का संचालन मानकों के अनुसार किया जा रहा है।

ठोस अपशिष्ट, प्रबन्धन

1– कूडे का संग्रहण – नगर पंचायत बद्रीनाथ धाम में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत पंचायत के 04 वार्डो क्रमशः बद्रीकाश्रम, नरपुरी, नैगणी एवं शेषनेत्र में डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य नगर पंचायत के कूड़ा वाहनों तथा पर्यावरण मित्रों के माध्यम से किया जा रहा है नगर क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले नॉन बायोडिग्रेडेवल तथ बायोडिग्रेवल कूड़े को डोर टू डोर के माध्यम से अलग–अलग लिया जाता है।

2– यूजर चार्जेस – नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा नगर क्षेत्रान्तर्गत घरों/प्रतिष्ठानों से डोर टू डोर के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क/यूजर चार्जेज के रूप में वर्तमान वर्ष 2023–24 में आतिथि तक रू0 70210.00 की आय अर्जित की जा चुकी है।

3– कूड़े का परिवहन – नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा नगर क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा एकत्र कर कूड़ा वाहनों तथा पर्यावरण मित्रों के माध्यम से उठाये गये कूड़े को एकत्र कर हाथ गाड़ी तथा कट्टों के माध्यम से कूड़ा वाहनों में डालकर कंचन गंगा के निकट नगर पंचायत के ट्रेंचिंग ग्राउण्ड में ले जाकर गीले कूड़े को कम्पोस्ट पिटों के माध्यम से कम्पोस्टिंग की जाती है तथा सूखे कूड़े को कॉम्पैक्टर के माध्यम से कॉम्पैक्ट किया जाता है।

4– कूड़े का निपटान – नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा नगर क्षेत्र में उत्पन्न कूड़े को सूखे कूड़े को अलग–अलग कर कॉम्पेक्ट कर पुर्नचक्रण हेतु विक्रय किया जा रहा है। नगर पंचायत द्वारा विगत वर्षों के अवशेष , ग्राम माणा से एकत्र सूखे कूड़े तथा वर्ष 2023–24 में कॉम्पेक्ट कूड़े से कुल 56.46 टन सूखे कूड़े का विक्रय कर रू0 457638.00 की आय अर्जित की गई है। गीले कूड़े की कम्पोस्ट पिटों के माध्यम से कम्पोस्टिंग की जाती है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत ट्रैचिंग ग्राउण्ड का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

5– प्रचार–प्रसार/ जन भागीदारी – नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा समय–समय पर स्वच्छता अभियान चलाकर कूड़ा एकत्र किया जाता है, तथा नगर क्षेत्रान्तर्गत जन–जागरूकता रैली एवं पेन्टिंग प्रतियोगिता, वॉल पेन्टंग, प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों एवं होल्डिंग के माध्यम तथा वाहनों द्वारा लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार–प्रसार किया जाता है।

6– नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2023–24 में Anti Littering - Anti Spiting act 2016 तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत चालन कर अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही भी की गई है, जिसके अन्तर्गत Anti Littering 141 तहत चालानों के सापेक्ष रू0 61250 तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत 06 चालानों के सापेक्ष रू0 8500.00 की वसूली की गई है।

अतः आख्या सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

डॉ0 (ललित नारायण मिश्र) पी.सी.एस.
मुख्य विकास अधिकारी,
चमोली।